पत्रांक 15/पी 5–08/2009
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, (बि0प्र0से0)
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर अन्तर्गत अवस्थित परीक्षा भवन के लम्बवत् विस्तारीकरण हेतु रू0 3,57,62,000 (तीन करोड़ संतावन लाख बासठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर अन्तर्गत अवस्थित परीक्षा भवन के लम्बवत् विस्तारीकरण हेतु रू0 3,57,62,000 (तीन करोड़ संतावन लाख बासठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा परीक्षा भवन के लम्बवत् विस्तारीकरण हेतु रू0 3,57,62,000 (तीन करोड़ संतावन लाख बासठ हजार) मात्र का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित उपलब्ध कराया गया है।

3. राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन से निकासी कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी0एल0 खाते में जमा की जाएगी। स्वीकृत राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवता की पूरी जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी की होगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर विभाग समूचित कार्रवाई करेगा ।

5. स्वीकृत होने वाली राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष– 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड

Exam hall Sanlekh 2018-19

21-2202031020115, विषय शीर्ष 0115. 31. 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जाएगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में संचिका संख्या 15/पी 5–08/2009 में दिनांक 24.01.2019 को पृष्ठ 40/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

7. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–08/2009 133 पटना, दिनाक 13/2 /2019

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/कुलसचिव, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05, 14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव